फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

Online No. 2023/31

प्रकरण संख्या 17 / 2023

उनवान

श्री इन्द्री देवी बनाम श्री प्रहलाद

धारा 111-128 प्रा0पत्र / राजस्व वाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
1/2/23	बाद जॉच वाद / प्रार्थना पत्र / ईजराय / अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक 13/3/23 ... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	
13/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार एसोसियशन का कार्य स्थगन किया हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। पत्रावली समक्ष आदेश दि. 27/3/23 को पेश हो। [illegible] आज्ञा से रीडर	
27/3/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। विपक्षीगण को बार-बार आवाजे लगाई गई, इसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। प्रार्थीगण अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 LRAct का स्वीकार कर निर्णय पृथक से किया गया [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हो।	

उपखण्ड अधिकारी

भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
17/2023	01.02.2023	27.03.2023

उनवान

1. इन्द्री देवी पत्नी लालू रेबारी निवासी बापूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. धर्मा पिता लालू रेबारी निवासी बापूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रहलाद पिता महाराम रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
2. कालू पिता महाराम रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
3. बद्री पिता नाथू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
4. हरजी पिता नाथू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
5. जिया पत्नी नाथू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
6. जोधा पिता मांगू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
7. अम्बा पिता मांगू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
8. विनोद पिता मांगू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
9. सूडी पत्नि मांगू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
10. हेमा पिता माधु रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
11. भरत पिता माधू रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
12. सुरेश पिता माधु रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
13. उसबा पत्नी माधु रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
14. भीमा पिता हीरा रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
15. गणपत पिता श्रीलाल रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
16. मांगू पिता गोपाल रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
17. देवा पिता संग्राम रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
18. गजरी पत्नी संग्राम रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
19. गिरवर पिता हरदेव रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
20. भैरू पिता देवा रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
21. बद्री पिता मिश्री रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
22. शंकर पिता मिश्री रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
23. थाना पिता मिश्री रेबारी निवासी पाबूनगर तहसील व जिला भीलवाडा।
24. ग्राम पंचायत सेथूरिया जरिये सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सेथूरिया
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्यामलाल गुर्जर

एक तरफा विपक्षीगण

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम::–

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा पाबूनगर प0ह0 जागदरी भू00अ0नि0क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2072—2075 के खाता संख्या 48 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 904, 912, 993, 1000, 1001, कुल किता 05 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, और अप्रार्थीगण आराजियात जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा—चिन्ह स्थापित किया जावें। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज दिनांक 27.03.2023 को अप्रार्थीगण के बावजूद सूचना के हाजिर नही आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है, अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन् किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हें आराजियात जैर—बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार सह काश्तकार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा को आदेश दिया जाता है कि मौजा पाबूनगर प0ह0 जागदरी भू00अ0नि0क्षैत्र कारोईकलां तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2072—2075 के खाता संख्या 48 की अभिलिखत आराजीयात आराजी संख्या 904, 912, 993, 1000, 1001, कुल किता 05 कुल रकबा 1.4162 हैक्टेयर कृषि भूमि फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) किया जावे एवं पर्चा मौका व मौका नक्शा 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावें। निर्णय आज दिनांक 27.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27.03.2023

(विनोद कुमार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा